# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः–सत्तार खान, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः–305/2020 (2020/00305)**

रामरतन पुत्र ओंकार जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बगडी, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

**अपीलांट**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोडारायसिंह, जिला टोंक

**रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक दिनांक 14.02.2020.**

**उपस्थितः–**

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री आकाश पारीक, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1.

## निर्णय

**दिनांकः–18.11.2020**

1. यह अपील विद्वान अतिरक्त जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक दिनांक 14.02.2020 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बस्सी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट तहसीलदार, टोडारायसिंह जिला टोंक को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार ने प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर आराजी खसरा नम्बर 401, 402 रकबा 1.91 है0 किस्म चारागाह पर प्रार्थी को संवत 2076 में तिल काश्त कर आतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए बिना प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये विवादित भूमि का प्रार्थी अतिक्रमी मानते हुए प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.11.23 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

बेदखली एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा का निर्णय दिनांक 25.07.2019 को पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अति0 जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष प्रस्तुत की गई जिनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.02.2020 से अपीलांट की अपील खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.07.2019 यथावत रखे जाने के आदेश पारित कर दिये। अधी0न्याया0 के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के अभि0 उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि दोनों मातहत न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम, विधि व रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई गौर नही फरमाया कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना किसी भी ठोस साक्ष्य से साबित नहीं था फिर भी मात्र पटवारी हल्का के मौखिक बयानों के आधार मानकर तहसीलदार, टोडारायसिंह ने प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानते हुए बेदखली एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। पत्रावली पर ऐसी कोई ठोस एवं स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण है तथा प्रार्थी को इससे पूर्व वादग्रस्त भूमि से भौतिक रूप से कभी भी बेदखल किया गया हो एवं ना ही प्रार्थी को कभी विवादित भूमि से भौतिक रूप से पूर्व में बेदखल ही किया गया। इसके बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने भारी कानूनी भूल की है।

5. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए पारित किया गया है, जो साईक्लोस्टाईल निर्णय है और विधिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अधि0न्याया0 द्वारा निर्णय पारित करने में प्रकरण के तथ्यों, कानूनी प्रावधानों को अनदेखा कर व न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए बिना निर्णय पारित किया है। माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपील के साथ अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य में कभी भी किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। प्रार्थी/अपीलांट अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, यदि अधि0न्याया0 के निर्णय की पालना में प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अपीलांट के परिवार के समक्ष भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी, साथ ही प्रार्थी की सामाजिक प्रतिष्ठा को भारी क्षति होगी, जो कतई न्यायोचित व न्याय संगत नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.11.23 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

अधि0न्याया0 के निर्णय अति0 जिला कलक्टर, टोंक दिनांक 14.02.2020 एवं तहसीलदार, टोडारायसिंह दिनांक 25.07.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

6. विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी को चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी माना है। प्रार्थी के विरूद्ध सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाने का विरोध किया तथा अपील में सार नहीं होना बताते हुए खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी को चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी माना है, जिस दोष सिद्धी में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार हमारे समक्ष नहीं है। अतः दोष सिद्धी की पुष्टि की जाती है।

8. जहां तक सिविल कारावास की सजा में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है। प्रार्थी की ओर से अपील के साथ कब्जा छोडने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए एवं न्यायहित में प्रार्थी को सुधरने का एक अंतिम अवसर देने के उद्देश्य से हम उसकी सजा को आगे उल्लेखित शर्तों पर स्थगित किया जाना न्यायसंगत समझते है।

9. परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील का आंशिक रूप से स्वीकार करना उचित समझते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक के निर्णय दिनांक 14.02.2020 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है किन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार स्वयं अथवा हल्का पटवारी के मार्फत यह सुनिश्चित कर लेवें कि वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी ने अपना कब्जा छोड दिया है तथा उन्होनें (तहसीलदार/हल्का पटवारी) राज्य हित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा प्रार्थी द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर प्रार्थी कब्जा नहीं करेगा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है और इस सब तथ्यों बाबत तहसीलदार इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली में आदेशिका उल्लेखित करने के उपरान्त प्रार्थी की सजा को इस निर्णयानुसार स्थगित रख सकेगा। यदि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त शर्तो की पालना नही की जाती है अथवा प्रार्थी द्वारा पुनः राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है तो तहसीलदार इस निर्णय से स्थगित किये गये निर्णय को प्रभावी मानकर प्रार्थी को नियमानुसार सजा भुगतायेगा तथा उसकी अपील पूर्ण रूप से खारिज मानी जावेगी एवं सजा यथावत रहेगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.11.23 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

**–:क्रियात्मक आदेशः–**

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 305/2020 (2020/00305) बउनवानी रामरतन बनाम सरकार को उक्त शर्तो अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(सत्तार खान)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

आदेश आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(सत्तार खान)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

10.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.11.23 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested